संख्या 750/चौवालिस-1-95/82

प्रेषक,

श्री करनैल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 15 जून, 1988

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्थानीय निकायों आदि के सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3218/चौवालिस-1-95/82, दिनांक 07-1-83 तथा पत्र संख्या-476/चौवालिस-1-95/82, दिनांक 2 मई, 1983 का सन्दर्भ लें।

2- उक्त पत्रों द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-जी-1 3033/दस-534(46)/76, दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-जी-1-700/दस-534(46)-76 दिनांक 16 मार्च, 1983 को भेजते हुए यह अनुरोध किया गया था सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वाह्य सेवा पर कार्यरत सरकारी सेवकों के मामलों में उक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। शासन के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि कतिपय सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वे निगम/उपक्रम की सेवा में कार्यरत रहते हैं तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता व अन्य प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त करते है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपको पुनः यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि निगमों/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवकों के मामलों में वित्त विभाग के उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी मामले में कृपया तद्नुसार ही कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
करनैल सिंह
विशेष सचिव।